सुभाष फोटोग्राफिक्स वगैरह

बनाम

भारत संघ व अन्य

11 मई, 1993

[न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी तथा एन. वेंकटचला]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962/सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975/परियोजना आयात विनियम, 1986

धारा 156, 157, 159/ पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, अध्याय 90, अध्याय 98 शीर्षक 98.01, अध्याय टिप्पणियाँ (1) और (2) विनियमन/ (3)-"औद्योगिक संयंत्र " अर्थ फोटोग्राफिक मशीनरी औद्योगिक संयंत्र के दायरे में नहीं आती है।''

प्रशासनिक विधि:

प्रत्यायोजित विधान-सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 का अध्याय 98-"औद्योगिक संयंत्र" सहित कुछ वस्तुओं पर शुल्क की रियायती दर-अध्याय टिप्पणी (2) केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क बोर्ड को अध्याय 98 में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करना-"औद्योगिक संयंत्र" को परिभाषित करने वाले बोर्ड

द्वारा बनाए गए परियोजना आयात विनियम-फोटोग्राफिक स्टूडियो, फोटो-ग्राफिक फिल्म प्रसंस्करण प्रयोगशाला आदि जैसे किसी भी विवरण की सेवा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रतिष्ठानों के लिए औद्योगिक प्रणालियों को "औद्योगिक संयंत्र" के दायरे से बाहर करना-अभिनिर्धारित किया कि धारा 157 सीमा शुल्क अधिनियम के तहत बोर्ड को प्रदत्त विनियमन बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को धारा 1962 के तहत प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के समान है। विनियम धारा 156 के तहत बनाए गए नियमों के विपरीत नहीं होने चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि परियोजना आयात विनियमों ने कानून के दायरे के परे काम किया है-बोर्ड ने "औद्योगिक संयंत्र" को परिभाषित करके अपने संक्षिप्त दायरे से बाहर नहीं गये-अध्याय टिप्पणी (2) सांसदों के आवश्यक विधायी कार्य के अत्यधिक प्रत्यायोजन के बराबर नहीं है।

शब्द और वाक्यांशः

"सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 98 में प्रयुक्त औद्योगिक संयंत्र, का अर्थ-

सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 अपनी पहली और दूसरी अनुसूचियों द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क की दरों का प्रावधान करता है। दूसरी अनुसूची के तहत अध्याय 98 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में शुल्क की रियायती दर निर्धारित की गई है।

नोट(1)-यदि अध्याय 98 में उल्लेखित कोई विशेष वस्तु किसी अन्य अध्याय/शीर्षक के अंतर्गत आती है, तो भी ऐसी वस्तु अध्याय 98 द्वारा शासित होगी, न कि उस अन्य अध्याय/शीर्षक द्वारा।

फोटोग्राफिक मशीनरी को अध्याय 90 के तहत शामिल किया गया था, जिसमें शुल्क की दर कहीं अधिक थी, लेकिन शुल्क के उद्देश्यों के लिए इसे अध्याय 98.01 के तहत "औद्योगिक संयंत्र" के रूप में माना गया था।"औद्योगिक संयंत्र" शब्द को न तो सीमा प्रशुल्क अधिनियम में और न ही सीमा शुल्क अधिनियम में परिभाषित किया गया था।

सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 98 की टिप्पणी (2) में यह प्रावधान है कि धारा 157 के तहत आयातित सभी वस्तुओं पर शीर्षक 98.01 लागू होगा और शीर्षक 98.01 में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होना चाहिए जो उन्हें उक्त विनियमों में दिया गया है। तदनुसार ही परियोजना आयात विनियम, 1986 तैयार किया गया था। उक्त विनियमों के विनियम (3) ने "औद्योगिक संयंत्र" को इसके दायरे से बाहर करते हुए परिभाषित किया है, जिसका उद्देश्य "किसी भी विवरण की सेवा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रतिष्ठानों" जैसे कि फोटोग्राफिक स्टूडियो, फोटोग्राफिक फिल्म प्रसंस्करण प्रयोगशालाएं आदि के लिए है।

परियोजना आयात विनियम लागू होने पर, सीमा शुल्क प्राधिकारियों

ने अपीलकर्ताओं द्वारा आयातित फोटोग्राफिक उपकरण को 98.01 शीर्षक के तहत आने वाले औद्योगिक संयंत्र के रूप में मानने से इनकार कर दिया और सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 90 के तहत उस पर शुल्क लगाने की मांग की।

अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष परियोजना आयात विनियम, 1986 की वैधता का चुनौती देते हुये रिट याचिकाएँ दायर की, जिन्हें खारिज कर दिया गया, जिस पर विशेष अनुमति याचिका पेश की गई।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि धारा157 के तहत केंद्रीय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम संसद की जांच के अधीन नहीं है , अर्थात उन्हें संसद के सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि वे केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से निम्न स्तर पर है, इसलिए, विनियमन बनाने की शक्ति केवल परिधीय और प्रक्रियात्मक तक ही सीमित है, मूल उपबन्ध के लिए प्रावधान नहीं है। अधिनियम ने शुल्क के अधीन वस्तुओं और चीजों के साथ-साथ शुल्क की दरों को भी निर्दिष्ट किया और ऐसी शक्ति को एक प्रतिनिधि द्वारा प्रयुक्त करने के लिए नहीं छोड़ा गया था।

संसद ने सीमा शुल्क बोर्ड को इस क्षेत्र में कटौती करने की शक्ति सौंपने और अधिनियम या सीमा प्रशुल्क के प्रावधानों की सीमा में कटौती करने की शक्तियों को प्रत्यायोजित करने पर विचार नहीं किया औ र यदि ये शक्तियां बोर्ड को सौंपी जाती तो यह शक्तियों का अत्यधिक प्रत्यायोजन

कहलाता। परियोजना आयात विनियम (5)के तहत '' औ द्याेगिक कारखाना को परिभाषित करके धारा 157 के तहत विनियम बनाने की शक्ति की परिधि से बाहर रखा गया औ र इस शक्ति के तहत उक्त अभिव्यक्ति को परिभाषित करने की आड़ में संसद द्वारा देश के औ द्योगिक विकास के हित में उपबन्धित शुल्क की लाभकारी दर को हटा दिया।

अपील खारिज की गई और कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

(1) केन्द्रीय सीमा शुल्क व प्रशुल्क बोर्ड को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 157 के तहत विनियम बनाने की शक्ति सौपना प्रक्रियात्मक व परिधीय मामलों तक सीमित नहीं है। संसद ने अधिनियम के उद्देश्य को साकार करने हेतु केन्द्र सरकार व बोर्ड को नियम-विनियम बनाने हेतु सशक्त किया है। उक्त अधिनियम की धारा 156 व 157 के तहत बनाये नियम विनियम की विशेषता समान है- दोनों प्रत्यायोजित विधान का निर्माण करते हैं। ये विनियम एक अतिरिक्त सीमा में बंधे है-ये धारा 156 के तहत बने नियमों के विरूद्ध नहीं हो सकते। दोनों ही धाराऔ में अधिनियम-2 का उद्देश्य दोनों नियमों काे अनन्य रूप से कुछ विशिष्ट प्रकरण आवंटित करना है, इन उपनियमों की रोशनी में दोनों प्रत्यायोजन अपने-अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग अधिनियम के उद्देश्य को बढ़ाने में प्रयोग कर सकते हैं।

2.1. सरकार के विवेक पर सवाल उठाना न्यायालय का काम नहीं है

औ र ना ही उस मामले में बोर्ड की नीति पर सीमा शुल्क अधिनियम और सीमा प्रशुल्क अधिनियम जैसे अधिनियम न केवल कर लगाने वाले कानून हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास को विनियमित करने के लिए सरकार के हाथों में शक्तिशाली साधन भी हैं। कराधान की शक्ति अर्थव्यवस्था को विनियमित करने के लिए सरकार के कारगर उपायों में से एक है। एक विशिष्ट उद्योग को प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है जबकि दूसरे को नहीं। इस तरह के कानूनों को आवश्यकतानुसार ही निरन्तर समायोजित करके ही उचित रूप से प्रशासित किया जा सकता है। इसके लिए प्रतिनिधि को उपयुक्त विवेक की अनुमति देने की आवश्यकता होती है। " लचीलापन आवश्यक है (कानून बनाने में) और इसका फायदा नियमों और विनियमों को संसद से विधान के मुकाबले त्वरित व आसानी से लाया जा सकता है।

संभवतः यही कारण है कि संसद ने अध्याय टिप्पणी (2) के माध्यम से अध्याय 98 में आने वाली अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने की शक्ति उस बोर्ड को दी है जो सरकार का एक हिस्सा है और केंद्र सरकार के मार्गदर्शन के साथ अधिनियम के प्रशासन का तत्काल प्रत्यक्ष प्रभार रखता है। इस दृष्टिकोण से देखने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि अध्याय टिप्पणी (2) संसद के आवश्यक विधायी कार्य के अत्यधिक प्रत्यायोजन के बराबर है।

2.2. सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 98 में औ द्योगिक संयत्र को रियायती शुल्क का प्रावधान है। "औद्योगिक संयंत्र एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। सभी प्रकार के औद्योगिक संयंत्रों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, कुछ को हो सकती है, अन्य को नहीं। इस तरह के निर्णय समय-समय पर लेने पड़ते हैं। संसद जाहिरा तौर पर ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए सही मायने में यह कार्य बोर्ड पर छोड़ दिया है।

1986 में, सरकार-जिसमें बोर्ड भी शामिल है-ने सोचा कि औ द्योगिक प्रणाली का आयात होटल, अस्पताल, फोटोग्राफिक स्टूडियो, फोटोग्राफिक फिल्म प्रसंस्करण प्रयोगशालाएं आदि जैसी किसी सेवा की पेशकश करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिनको रियायती सीमा शुल्क के रूप में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है और उन्होंने परियोजना आयात विनियम, 1986 के माध्यम से ऐसा कहा, जिसे क़ानून के दायरे से परे नहीं कहा जा सकता है। न ही यह कहा जा सकता है कि बोर्ड ने परियोजना आयात विनियमों के विनियमन (3) के तहत परिभाषित "औद्योगिक संयंत्र" के पूर्वावलोकन से "किसी भी विवरण की सेवाओं की पेशकश करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रतिष्ठानों" को बाहर करके अपने संक्षिप्त दायरे से बाहर काम किया है। इसके अनुसार, फोटोग्राफिक उपकरण "औद्योगिक संयंत्र" के दायरे में नहीं आते हैं।

2.3. यह नहीं कहा जा सकता कि संसद ने बोर्ड को अध्याय 98 में

आने वाले "औद्योगिक संयंत्र" अभिव्यक्ति को परिभाषित करने के लिए, सशक्त बनाकर, इसके आवश्यक विधायी कार्य को प्रत्यायोजित किया गया। वास्तव में, संसद की ओर से कोई शक्ति या नियंत्रण का लोप नहीं है। सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 98 के अध्याय नोट (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति निस्संदेह धारा 25 द्वारा प्रदत्त छूट की शक्ति से अलग है। सैद्धांतिक रूप से जब संसद में एक अपवाद अधिसूचना रखी जाती है, तो धारा 157 के तहत बनाए गए विनियमों की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह की आवश्यकता के अभाव का मतलब प्रतिनिधि के कार्यों पर संसद द्वारा नियंत्रण का अभाव नहीं है।

उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ बनाम। भारत संघ [1989] 4 एस. सी. सी. 187. अविंदर सिंह बनाम। पंजाब [1979] 1 एस. सी. आर. 845 और तमिलनाडु राज्य बनाम। हिंद स्टोन [1981] 2 एस. सी. आर. 742, पर विश्वास किया।

वसंतियाल मगनभाई संजनवाला बनाम। बॉम्बे राज्य [1961] 1 एस. सी. आर. 341 और देवीदास बनाम। पंजाब राज्य [1967] 3 एस. सी. आर. 557, संदर्भित की।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2684 (एन. एम.) वर्ष 1993

निर्णय और आदेश दिनांक 02.04.92/27.04.92 से, जो कि बॉम्बे

उच्च न्यायालय के डब्ल्यू. पी. 27/1990 में पारित किया गया।

हरीश एन. साल्वे, आर. पी. भट्ट, ए. के. गांगुली, डॉ. नितिन कांतावाला, सुश्री हेमंतिका वाही, T.V.S.N. चारी, सुश्री तनुजा शील, श्रीमती शीला एस. राव, पी. परमेश्वर और ई. सी. अग्रवाल, रंजीत कुमार, आर. वेंकटरमानी, श्रीमती एम. कमरुद्दीन, अभिजात पी. मेध पक्षकारान की ओर से उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी द्वारा दिया गया।

अनुमति दी गई।

पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना। ये अपीलें व आदेश बॉम्बे उच्च न्यायालय के सामान्य निर्णय और आदेश के एक समूह के रूप में उत्पन्न हुई है। सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ताओं द्वारा आयातित फोटोग्राफिक मशीनरी सीमा शुल्क शीर्षक संख्या 98.01 के अंतर्गत आती है? यदि यह इसके अंतर्गत आती है, तो क्या यह शुल्क की रियायती दर की हकदार है। यदि नहीं, तो यह एक उच्च शुल्क के लिए प्रभार्य है।

सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 संसद द्वारा सीमा शुल्क से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने हेतु अधिनियमित किया गया था। इसने भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 और भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1949 को निरस्त कर दिया। धारा 2 में कहा गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जिन दरों पर शुल्क और सीमा शुल्क

लगाया जाएगा, वे पहली और दूसरी अनुसूचियों में निर्दिष्ट हैं। धारा 3 उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित करती है।

अध्याय 98 को अनुसूची में 28 फरवरी, 1986 से लागू किया गया था। यह "प्रोजेक्ट इम्पोर्ट्स; लेबोरेटरी केमिकल्स,पैसेन्जर बैगेज, एयर या पोस्ट द्वारा व्यक्तिगत आयात; शिप स्टोर" से संबंधित है। अध्याय 98 निर्दिष्ट वस्तुओं और वस्तुओं के संबंध में शुल्क की रियायती दर का प्रावधान करता है। अध्याय टिप्पणी संख्या (1) घोषणा करती है, कि "यह अध्याय उन सभी वस्तुओं पर लागू होता है जो उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, भले ही वे इस अनुसूची से अन्यत्र कहीं और अधिक विशिष्ट शीर्षक द्वारा कवर किए गए हों।" दूसरे शब्दों में, यदि अध्याय 98 में उल्लेखित कोई विशेष वस्तु किसी अन्य अध्याय/शीर्षक के अंतर्गत आती है, तो भी ऐसी वस्तु अध्याय 98 द्वारा शासित होगी, न कि उस अन्य अध्याय शीर्षक द्वारा। जहाँ तक फोटोग्राफिक मशीनरी का संबंध है, यह विवादित नहीं है कि यह अध्याय 90 के अंतर्गत आती है जहाँ शुल्क की दर कहीं अधिक है। अध्याय टिप्पणी संख्या (2) जो यहाँ महत्वपूर्ण रूप से प्रासंगिक है, वह इस प्रकार हैः

"शीर्ष संख्या 98.01 को उन सभी वस्तुओं पर लागू करने के लिए देखना है, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 157 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आयात की गयी है तथा इस शीर्षक के तहत इसमें

उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उक्त विनियमनों के तहत रखा गया है।" (महत्व दिया गया)

98.01 (उप-शीर्षक 9801.00), हमारे लिए प्रासंगिक है, जो निम्न प्रकार है-

शीर्षक संख्या	उपशीर्षक संख्या	वस्तुओं का विवरण	मानक शुल्क दर
98.01	98.01.00	मशीनरी की सभी वस्तुएँ, जिनमें मुख्य मूवर, यंत्र, उपकरण, औ जार, गीयर, नियंत्रक तथा ट्रांसमिशन उपकरण, सहायक उपकरण (जो अनुसंधान व विकास के उद्देश्य हेतु आवश्यक है, जांच व गुणवत्ता नियंत्रण) साथ ही वो सभी अवयव (चाहे तैयार हो या नहीं) कच्चा माल नई ईकाई की स्थापना के लिए अथवा मौजूदा ईकाई के सारभूत विस्तार के लिए। आवश्यक घटक:- (1) औद्योगिक संयंत्र, (2) सिंचाई परियोजना,	60%

		(3) बिजली परियोजना, (4) खनन परियोजना, (5) परियोजना के अन्वेक्षण के लिए तेल या अन्य खनिज,और (6) इस तरह की अन्य परियोजनाएं जो केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था के विकास को ध्यान में रखते हुए आधिकारिक रूप से राजपत्र में अधिसूचित करती है औ र स्पेयर पाट्र्स, अन्य कच्ची सामग्री (जिसमें अर्द्ध तैयार सामग्री) अथवा उपभोक्ता भण्डार (जिसकी कीमत विनिर्दिष्ट काल की कीमत से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उपयुक्त सब अधिशेष पाट्र्स कच्चे माल अथवा उपभोक्ता भंडार जो सयंत्र अथवा परियोजना के रख रखाव के लिए आवश्यक हो, जैसाकि उपरोक्त 1 से 6 के मध्य उल्लेखित है।	

"औद्योगिक संयंत्र" शब्द को सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 में परिभाषित नहीं किया गया है।या उस मामले के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 अध्याय 98 के अध्याय टिप्पणी (2) जिसमें इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि यह क़ानून का ही एक हिस्सा है, कहता है कि शीर्षक संख्या 98.01 में उपयोग की गई अभिव्यक्तियों का अर्थ सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 157 के तहत बनाए गए विनियमों द्वारा उन्हें प्रदत्त की गयी होगी औ र आगे शीर्षक संख्या 98.01 उन सभी वस्तुओं पर लागू होगा जो ऐसे विनियमों के अनुसार आयात की जाती है।

जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 98 के अध्याय टिप्पणी (2) द्वारा विचार किया गया है, केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 157 के तहत परियोजना आयात विनियम बनाए,अधिसूचना संख्या 230/86-दिनांक 3 अप्रैल, 1986 में समाविष्ट है। वे उसी दिन लागू हुए। इन विनियमों के विनियम (1) में कहा गया है कि इन्हें "परियोजना आयात विनियम, 1986" कहा जाएगा और ये 3 अप्रैल, 1986 से लागू होंगे। विनियम (2) में कहा गया है कि उक्त विनियम शीर्ष संख्या 98.01 के अंतर्गत आने वाले माल के मूल्यांकन और निकासी के लिए विनियम लागू होंगे। विनियम (3) "औद्योगिक संयंत्र" अभिव्यक्ति सहित कुछ अभिव्यक्तियों को परिभाषित करता है।

परिभाषा इस प्रकार हैः "औद्योगिक संयंत्र "से एक ऐसी औद्योगिक प्रणाली अभिप्रेत है जिसे इनके क्रियान्वयन के लिए किसी भी प्रक्रिया या प्रक्रियाऔ की श्रृंखला से उत्पादन या निष्कर्षण के लिए आवश्यक रूप से अभिकल्पित किया गया हो, परन्तु इसमें-

(i) होटल, अस्पताल, फोटोग्राफिक स्टूडियो, फोटोग्राफिक फिल्म प्रोसेसिंग प्रयोगशालाएं, फोटोकॉपी स्टूडियो, कपड़े धुलाई के स्थान, गैरेज और कार्यशालाओं जैसे किसी भी विवरण की सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रतिष्ठान; या

(ii) उक्त पहली अनुसूची की धारा XVI की टिप्पणियां 3 और 4 में निर्दिष्ट अर्थ के भीतर एक एकल मशीन या एक समग्र मशीन इसमें शामिल नहीं है।

"औद्योगिक संयंत्र" की परिभाषा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह ऐसी औ द्योगिक प्रणालियों को बाहर करता है, जो किसी भी तरह की संदर्भित सेवाओं की पेशकश करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसमें चित्रण के माध्यम से कुछ सेवा प्रतिष्ठानों का उल्लेख किया गया है। फोटोग्राफिक स्टूडियो और फोटोग्राफिक फिल्म प्रोसेसिंग प्रयोगशालाओं का उल्लेख विशेष रूप से सेवाओं की पेशकश करने के लिए डिज़ाइन किए गए कुछ प्रतिष्ठानों के रूप में किया जाता है। जैसे ही परियोजना आयात

विनियम लागू हुये इसके बाद, सीमा शुल्क प्राधिकरणों ने अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा आयातित फोटोग्राफिक उपकरण को सीमा शुल्क अधिनियम के 98.01 शीर्षक के तहत आने वाले "औद्योगिक संयंत्र" के रूप में मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अध्याय 90 के तहत उस पर शुल्क लगाने की मांग की। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा आयातित फोटोग्राफिक मशीनरी को अध्याय 98 के अर्थ के भीतर "औद्योगिक संयंत्र" के रूप में मानने से इनकार करने के मद्देनजर, अपीलकर्ताओं ने रिट याचिकाओं के समूह के माध्यम से बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क था कि 3 अप्रैल, 1986 तक, फोटोग्राफिक मशीनरी को पुराने शुल्क के शीर्षक 98.01 के साथ-साथ शुल्क शीर्षक 84.66 में आने वाले "औद्योगिक संयंत्र" के अंतर्गत शामिल किया गया था।

इस तथ्य की पुष्टि भारत सरकार द्वारा भी की गई थी-जब उनके पत्र संख्या एफ 526/52/83-(सीमा शुल्क टी.यू.) में दिनांक 04 नवम्बर, 88 में संदेह प्रकट किया गया था। यहां तक कि "औद्योगिक संयंत्र" अभिव्यक्ति के सामान्य अर्थ और अभिधान अनुसार, फोटोग्राफिक मशीनरी इसके दायरे में आती है। यह वह अर्थ है जिसमें उक्त अभिव्यक्ति का उपयोग टैरिफ प्रविष्टि 98.01 में किया जाता है। यदि ऐसा है, तो सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 157 के तहत बनाए गए विनियमन द्वारा उक्त अभिव्यक्ति के दायरे और क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती है। यदि किसी

विशेष मशीनरी या उपकरण को "औद्योगिक संयंत्र" के दायरे से बाहर रखा जाना है, तो यह केवल अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, लेकिन विनियमों जैसे अधीनस्थ कानून द्वारा नहीं। यह प्रकट किया गया कि 1986 के विनियम धारा 157 के दायरे से बाहर हैं और अक्षम हैं। परन्तु इन दलीलों को नकार दिया गया और खण्ड पीठ द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

इन अपीलों में, श्री हरीश साल्वे और कांतवाला ने निम्नलिखित तर्क रखे-

(1) सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अवलोकन से इसकी योजना का पता चलता है। यह अधिनियम शुल्क के अधीन आने वाली वस्तुओं और चीजों के साथ-साथ शुल्क की दर को भी निर्दिष्ट करता है।लेखों का विनिर्देशन एक प्रतिनिधि द्वारा नहीं किया जा सकता। यह सच है कि छूट की शक्ति केंद्र सरकार को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रदान की गई है। लेकिन यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि धारा 25 के तहत दी जाने वाली छूट की अधिसूचना अधिनियम की धारा 159 द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखी जानी आवश्यक है। यह संसद के करीबी नियंत्रण को दर्शाता है। वस्तुओं के विनिर्देशन और उन पर शुल्क की दर पर करीबी नियंत्रण के आशय काे दर्शाता है। धारा 157 के तहत बनाए गए विनियम इस मायने में संसद की जांच के अधीन नहीं हैं कि उन्हें धारा 159 के

तहत संसद के सदनों में रखने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट रूप से, विनियम का अभिप्राय सारभूत मामलों से निपटने के लिए नहीं था।

(2) धारा 157 को लागू करते समय संसद का आशय कभी भी सीमा शुल्क अधिनियम या सीमा प्रशुल्क अधिनियम के प्रावधानों अनुसार बताये क्षेत्र और दायरे में कटौती करने की शक्ति बोर्ड को सौंपना नहीं था। बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम धारा 156 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से निम्नतर हैं। विनियमन बनाने की शक्ति का उपयोग प्रक्रियात्मक और परिधीय प्रावधान प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाना था, लेकिन निश्चित रूप से अधिनियम के प्रावधानों की सामग्री और दायरे को कम करने के लिए एक ठोस प्रावधान बनाने के लिए नहीं।

(3) यहां तक कि अगर यह माना भी जाये कि ऐसी शक्ति का आशय इसे बोर्ड को सौंपा जाना था, तो यह गलत होगा क्योंकि यह विधायी शक्तियों का अत्यधिक प्रत्यायोजन किया जाना होगा। नए विनियमन का विनियमन (3) जो "औद्योगिक संयंत्र" शब्द को परिभाषित करता है, स्पष्ट रूप से धारा 157 द्वारा प्रदत्त विनियमन बनाने की शक्ति की संज्ञा से बाहर हैं। प्रशुल्क प्रविष्टि 98 का विधायी इतिहास बोर्ड द्वारा प्रयोग की जा रही ऐसी किसी भी शक्ति के विरूद्ध है। संसद ने जो प्रदत्त किया है, बोर्ड उसे छीन नहीं सकता। प्रभावी रूप से विनियमन का प्रभाव अधिनियम के प्रावधान में संशोधन करने पर पड़ता है। उन्होंने "औद्योगिक संयंत्र" शब्द

को परिभाषित करने की आड़ में देश की औद्योगिक प्रगति के हित में संसद द्वारा प्रदान की गई शुल्क की लाभकारी दर को छीन लिया है। ये विनियम सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत हैं।

केन्द्र सरकार की औ र से उपस्थित विद्वान अधिनिवक्ता टी.वी.एस.एन चारी ने उक्त विनियमों की वैधता का पूरा समर्थन किया। उन्होंने अध्याय टिप्पणी (2) की वैधता पर उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल नहीं उठाया गया था, जिसे अपील के तहत दिए गए फैसले में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ताओं को इस स्तर पर ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक बार जब अध्याय टिप्पणी (2) को अच्छा माना गया है, तो 1986 के विनियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती। उक्त नोट विधायी शक्ति के अत्यधिक प्रत्यर्पण के रूप में गलत नहीं है। संक्षेप में, उन्होंने अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा किए गए प्रत्येक तर्क का खंडन किया।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 एक दूसरे के पूरक हैं। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 157 केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड को जो केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत गठित है। "इस अधिनियम और नियमों के अनुरूप विनियम बनाने की शक्ति, आम तौर पर इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रदान करती है। "। उप-धारा (2) कुछ मामलों को विनिर्दिष्ट करती है जिनके

संबंध में विनियम बनाए जा सकते हैं। उप-धारा (2) में उपबन्धित कुछ ऐसे मामलों का विनिर्देशन आधार-1 में उनके द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

धारा 157 में उपबंधित है कि :-

(1) विनियम बनाने की केंद्रीय शक्ति-विनियम बनाने की अन्यत्र किसी भी शक्ति के प्रति पूर्वाग्रह के बिना बोर्ड इस अधिनियम व नियमों के अनुरूप इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सुसंगत विनियम बना सकता है।

(2) विशेष रूप से इसकी व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस तरह के विनियम सभी या निम्नलिखित मामलों के बाबत उपबंध करती है, जैसे:-

(क) आगम बिल का प्रपत्र, लदान बिल, शिपिंग बिल, निर्यात बिल, आयात माल सूची व विवरण, परिवहन बिल, नाव नोट तथा तटीय माल का बिल

(ख) वे स्थितियाँ जिनके अधीन धारा 54 उपधारा (3) के तहत सभी या किसी माल का हस्तांतरण व परिवहन या धारा 56 के तहत कोई सामान अथवा सभी माल को हटाना तथा धारा 67 के तहत एक गोदाम से दूसरे गोदाम में माल को बिना शुल्क के भुगतान के हटाना।

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन माल गोदाम में कोई विनिर्माण प्रक्रिया या संचालन धारा 65 के तहत करना

धारा 156 केंद्र सरकार को " इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आम तौर पर इस अधिनियम के अनुरूप नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 156 की उप-धारा (2) फिर से कुछ मामलों को निर्दिष्ट करती है जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं। उप-धारा (2) में विनिर्देशन उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

संसद ने दो प्राधिकरणों की नियुक्ति की है अर्थात केंद्र सरकार और बोर्ड जो अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम/विनियम बनाएंगे। धारा 156 और 157 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों की प्रकृति क्रमशः समान है-दोनों प्रत्यायोजित विधान का गठन करते हैं। नियमावलियाँ एक अतिरिक्त सीमा के अधीन हैं। अर्थात वे 156 नियमों के विपरीत नहीं होनी चाहिए। दोनों धाराओं में उप-धारा (2) का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उनमें से प्रत्येक को विशेष रूप से कुछ मामले इन उपनियमों के अधीन आवंटित करना है। दोनों प्रतिनिधि अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनमें निहित शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। धारा 157 के तहत विनियमन बनाने की शक्ति में किसी भी और सीमा को लागू करने के लिए कोई भी विशेष अवधि की कोई स्थापित विधायी प्रथा

हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है। यह मानते हुए कि एक विधायी प्रथा को एक सीमा के रूप में पढ़ा जा सकता है।

इसलिए हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि धारा 157 के तहत विनियमन बनाने की शक्ति केवल परिधीय और/या प्रक्रियात्मक मामलों तक ही सीमित होनी चाहिए। इस मामले के उद्देश्यों के लिए प्रत्यायोजित विधान की आवश्यकता या बढ़ती प्रासंगिकता पर जोर देना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, सीमा प्रशुल्क अधिनियम और सीमा प्रशुल्क अधिनियम जैसे अधिनियम न केवल कर लगाने वाले कानून हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास को विनियमित करने के लिए सरकार के हाथों में शक्तिशाली साधन भी हैं। 'आर्थिक' मंत्रालय कोशिश करते हैं कि उनसे संबद्ध प्रतिष्ठान अर्थव्यवस्था पर कड़ी नजर रखें और उनके व्यवहार पर बारीकी से नजर रखें। कराधान की शक्ति अर्थव्यवस्था को विनियमित करने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण शक्ति है। एक निश्चित उद्योग को प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है जबकि दूसरे को नहीं। हो सकता है कि अन्य क्षेत्र को नियंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है, कुछ अवसरों पर हतोत्साहित किया जाता है। हमारे जैसे अल्प-विकसित देश में उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग की बजाय पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग पर अधिक जोर दिया जाना तय है। घरेलू उद्योग को भी कुछ स्थितियों में संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 1986 में, इस चर्चा में सरकार

को इस अभिव्यक्ति में बोर्ड शामिल है-ने स्पष्ट रूप से सोचा कि 'औद्योगिक प्रणालियों' के आयात का मतलब 'होटल, अस्पताल, फोटोग्राफिक स्टूडियो, फोटोग्राफिक फिल्म प्रसंस्करण प्रयोगशालाएं आदि जैसे किसी भी विवरण की सेवाओं की पेशकश करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रतिष्ठानों' के लिए रियायती सीमा शुल्क के रूप में कोई प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है और उन्होंने अप्रैल 1986 में बनाए गए उक्त विनियमों के माध्यम से ऐसा कहा।

यह अदालत के लिए नहीं है कि वह सरकार के विवेक पर-या उस मामले में, बोर्ड की-नीति पर सवाल उठाए। बोर्ड सरकार का एक हिस्सा है। यह सरकार के साथ अधिनियम के प्रशासन का प्रत्यक्ष प्रभारी है। संभवतः इसी कारण से संसद ने अध्याय टिप्पणी (2) के माध्यम से बोर्ड में अध्याय 98 में आने वाली अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने की शक्ति निहित की है। इस योजना में, हम बोर्ड की विनियमन बनाने की शक्ति पर किसी प्रकार की अंतर्निहित सीमा के संबंध में श्री साल्वे के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि उक्त शक्ति केवल परिधीय और/या प्रक्रियात्मक मामलों तक ही सीमित है, जैसा कि विद्वान वकील कहते हैं।

इन विनियमों की वैधता पर किये गये प्रहार के लिए शायद एक और सरल जवाब है-

वे न केवल सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 157 बल्कि विशेष रूप से सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 98 के अध्याय टिप्पणी (2) से अधिक सम्बन्धित है। अध्याय टिप्पणी (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शीर्षक 98.01 में उपयोग की गई अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें उक्त विनियमों में सौंपा गया है। उक्त अध्याय टिप्पणी के अनुसार, परियोजना आयात विनियमों को "इंडस परीक्षण संयंत्र" के दायरे से "किसी भी विवरण की सेवाओं की पेशकश करने के लिए डिज़ाइन किए गए नियम" को बाहर कर दिया गया है। यदि उक्त विनियम किसी भी तरह से मान्य हैं, तो वे जो कहते हैं उससे कोई बचाव नहीं है; फोटोग्राफिक उपकरण औ द्योगिक कारखाने के दायरे में नहीं आता है। इस दृष्टिकोण से, विनियमन बनाने की शक्ति के संबंध में कथित विधायी प्रथा की प्रासंगिकता, या उक्त विनियमों के निर्माण से पहले की स्थिति की प्रासंगिकता बहुत कम है।

अध्याय 98 के अध्याय टिप्पणी (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति को विनियमन बनाने की शक्ति से संबंधित कथित विधायी प्रथा के संदर्भ में कम या संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है, यह मानते हुए कि ऐसी प्रथा स्थापित है और प्रासंगिक है। एकमात्र प्रश्न जो वास्तव में उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या अध्याय टिप्पणी (2) विधायी शक्ति के अत्यधिक प्रत्यर्पण के बराबर है।

जैसा कि न्यायमूर्ति थॉममेन, द्वारा उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण संगठन बनाम भारत संघ [1989] 4 एस. सी. सी. 187 में सही तौर पर बताया गया है कि "जहां किसी अधीनस्थ विधान(चाहे वह सीधे संविधान या कानून के तहत बनाया गया हो) की वैधता पर सवाल है,न्यायालय को समग्र रूप से दस्तावेज की प्रकृति,उद्देश्यों और योजना पर विचार करना होगा, और उस जांच के आधार पर, इस बात पर विचार करना होगा कि वास्तव में वह कौन सा क्षेत्र था जिस पर और किस उद्देश्य के लिए शासी कानून द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति दी गई है। सीमा शुल्क अधिनियम और सीमा प्रशुल्क अधिनियम जैसे कानूनों में यह भी ध्यान रखना होगा कि इस तरह के कानून को मौजूदा आवश्यकताऔ के अनुसार लगातार समायोजित करके ही ठीक से प्रशासित किया जा सकता है। इसके लिए प्रतिनिधि को समुचित मात्रा में विवेक की अनुमति देने की आवश्यकता होती है। जैसा कि अक्सर कहा जाता है "लचीलापन आवश्यक है (कानून बनाने में) और इन नियमों और विनियमों को संसद के अधिनियमों की तुलना में बहुत जल्दी और आसानी से बदला जा सकता है।"

हम यहां सरकार (और उसके विभिन्न संस्थानों) द्वारा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की सतत निगरानी की आवश्यकता और उचित स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने के साधन के रूप में इन अधिनियमों की प्रासंगिकता की

ओर इशारा कर चुके हैं। इस दृष्टिकोण से देखने पर,हम इस तर्क में कोई सार नहीं देख पा रहे हैं कि अध्याय टिप्पणी (2)संसद के आवश्यक विधायी कार्य के अत्यधिक प्रत्यर्पण के बराबर है। अध्याय 98 अन्य बातों के साथ औ द्योगिक सयंत्र को एक रियायती प्रशुल्क प्रदान करता है। "औद्योगिक संयंत्र" शब्द की अभिव्यक्ति का व्यापक अर्थ है। सभी प्रकार के औद्योगिक संयंत्रों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। जबकि कुछ को हो सकती है। इस तरह के निर्णय समय-समय पर लेने पड़ते हैं। संसद जाहिर तौर से ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए उसने इस कार्य को बोर्ड पर छोड़ दिया है, जो सरकार के मार्गदर्शन के साथ-साथ अधिनियम के प्रशासन पर तत्काल प्रत्यक्ष प्रभार रखता है।

वसंतलाल मगनभाई संजनवाला बनाम। बम्बई राज्य [1961] 1 एस. सी. आर. 341- में इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि "किसी अन्य एजेंसी के पक्ष में विधायी शक्ति का पूर्ण या आंशिक रूप से स्व-उन्मूलन प्रत्यायोजन की अनुमेय सीमाओं से परे है"। साथ ही, यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि "यह एक अदालत के लिए है कि वह एक विवादित क़ानून की निष्पक्ष, उदार व्याख्या पर रोक लगाए , चाहे विधायिका ऐसी सीमाओं को पार करें। लेकिन उक्त उदार व्याख्या को अदालतों द्वारा इस हद तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि वे हमेशा एक निष्क्रिय या एक अव्यक्त विधायी नीति की खोज करने की कोशिश

करते रहे ताकि एक कार्यकारी प्राधिकरण को प्रदान की गई मनमानी शक्ति को बनाए रखा जा सके। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विधायिका द्वारा कार्यपालिका को दी गई किसी भी मनमानी शक्ति को बिना किसी हिचकिचाहट के रद्द कर दे। इन शब्दों को_देवीदास बनाम पंजाब राज्य (1967) 3 एस.सी. आर.557 में संविधान पीठ के बाद के निर्णय में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था।

न्यायूमर्ति कृष्ण अय्यर, ने एक कर कानून के संदर्भ में इस पहलू पर अविंदर सिंह बनाम पंजाब [1979] 1 एस. सी. आर. 845 में जोर देते हुए कहा कि" ..... विधायिका अपने व्यक्तित्व को स्वयं नष्ट नहीं कर सकती और न ही परिपूर्ण रूप से उसे बदल सकती है, जो कि आवश्यक विधायी कार्य है। विधायिका जनता और उसके प्रतिनिधियों के प्रति जिम्मेदार और उत्तरदायी है,जबकि प्रतिनिधि नहीं हो सकते है और यही कारण है कि अत्यधिक प्रतिनिधान से संवैधानिक कानून असहमति प्रकट करता है। यह एक घीसा-पीटा प्रस्ताव है, लेकिन आधुनिक प्रशासन की जटिलताएं हैरान करने वाले रूप तक जटिल हैं और विवरणों, तात्कालिकताओं से भरी हुई है। विपुलता व विशिष्टता औ र प्रसार के साथ-साथ हमारी विधायिका ऐसा व्यापक रूप से कर सकती हैं। हो सकता है कि शुरूआत में सफलता ना मिले। अगर वे सीधे और व्यापक रूप से विधायी व्यवसाय को उनकी संपूर्णता से संभालना और विशिष्टीकरण के साथ करना

चाहे। विधायी शक्ति के ऐसे हिस्से का प्रत्यायोजन व्यावहारिकता के लिए एक बाध्यकारी आवश्यकता बन जाती है। अगर 500-सांसद , सलाहकार विधायी विवरण के हर छोटे हिस्से को अधीनस्थ एजेन्सी पर छोड़े बिना ध्यान केंद्रित करें तो वार्षिक उत्पादन असंतोषजनक और नगण्य हो जायेगा। कानून बनाना कोई तैयार परियोजना नहीं है, जो सभी तथ्यों के साथ तैयार हो। एक बार इस स्थिति को समझने के बाद प्रत्यायोजन की गतिशीलता का आसानी से पालन होता है। इस प्रकार हम दूसरे संवैधानिक नियम तक पहुँचते हैं, कि अनिवार्य विधायी कार्य प्रत्योयोजित नहीं किया जाएगा, जबकि गौण किया जा सकता है। हालांकि, वे असंख्य औ र महत्वपूर्ण हैं, उन्हें उपयुक्त एजेंसियों को सौंपा जा सकता है। बेशक, प्रत्येक प्रतिनिधि प्रधान के अधिकार और नियंत्रण के अधीन हो औ र प्रत्यायोजित शक्ति को प्रधान द्वारा सदैव निर्देशित, संशोधित या रद्द किया जा सकता है।

उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, हम यह नहीं कह सकते कि संसद ने अध्याय 98 में आने वाले "औद्योगिक संयंत्र" अभिव्यक्ति को परिभाषित करने के लिए बोर्ड को सशक्त बनाते हुए, इसके आवश्यक विधायी कार्य को प्रत्यायोजित किया। वास्तव में, हम संसद के स्तर पर कोई आत्म त्याग नहीं देखते हैं। अध्याय टिप्पणी (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति निस्संदेह धारा 25 द्वारा प्रदत्त छूट की शक्ति से अलग है। सैद्धांतिक रूप से इससे बहुत कम फर्क पड़ता है कि छूट अधिसूचना को संसद के पटल पर

रखने की आवश्यकता है, लेकिन धारा 157 के तहत बनाए गए विनियमों की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की आवश्यकता की अनुपस्थिति का मतलब प्रतिनिधि के कार्यों पर संसद द्वारा नियंत्रण का अभाव नहीं है। न ही हम इस बात से संतुष्ट हैं कि किसी भी सेवा की पेशकश करने के लिए बनाए गए प्रतिष्ठानों के लिए औद्योगिक प्रणालियों को छोड़कर विवरण के अनुसार, बोर्ड ने अपने संक्षिप्त विवरण से परे कार्य किया है।

इस सम्बन्ध में इसे न्यायालय के निर्णय तमिलनाडु राज्य बनाम हिन्द स्टोन, (1981) 2 एस.सी. आर. 742 का संदर्भ दिया जा सकता है। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 15 राज्य सरकार को लघु खनिजों और उनसे जुड़े उद्देश्यों के संबंध में खदान पट्टा, खनन पट्टा और अन्य खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु लघु खनिज रियायत नियम, 1959 बनाए, जिसके नियम 8 में निजी व्यक्तियों को खदानों के पट्टे की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नियम 8 (सी), जिसे वर्ष 1977 में पेश किया गया था, ने निजी व्यक्तियों को काले ग्रेनाइट के संबंध में खदानों के पट्टे के अनुदान पर प्रतिबंध लगा दिया था। नियम में प्रावधान किया गया है कि उक्त नियमों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, काले ग्रेनाइट के उत्खनन के लिए कोई पट्टा निजी व्यक्तियों को 7 दिसंबर, 1977 को

या उसके बाद नहीं दिया जाएगा। यह केवल राज्य सरकार या उसके पूर्ण स्वामित्व वाले निगम को ही दिया जा सकता था।

नियम 8 (सी) की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह अधिनियम के दायरे से परे है क्योंकि धारा 15 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति लघु खनिजों के संबंध में खदान पट्टों के अनुदान को विनियमित करने के लिए थी, लेकिन स्वयं में एकाधिकार (राज्य सरकार) बनाने के लिए प्रतिबंधित करने के लिए नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि नियम 8 (सी) में निहित निर्णय में नीति में एक बड़ा बदलाव शामिल है, इसलिए यह केवल विधायिका द्वारा किया जा सकता है न कि एक अधीनस्थ विधायी निकाय द्वारा। इन दोनों दलीलों को खारिज कर दिया गया। निम्नलिखित अवलोकन उपयुक्त हैंः-

" ..... यह राष्ट्रमंडल में प्रिवी काउंसिल द्वारा कामन वेल्थ आफ आस्ट्रेलिया बनाम बैंक आफ न्यू साउथ वेल्स में इंगित किया गया था और हम इस बात से सहमत हैं, जैसा उसमें कहा गया था-कि समस्या यह है कि क्या कोई अधिनियम नियामक या कुछ था और या क्या कोई प्रतिबंध प्रत्यक्ष था या दूरस्थ अथवा आकस्मिक रूप से शामिल था औ र इतना कानूनी नहीं था, जितना कि राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक विचार। प्रत्येक मामले में यह कहा गया था कि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों, समय औ र परिस्थितियों के आधार पर न्याय किया जाना चाहिए और यह हो

सकता है कि कुछ आर्थिक गतिविधियाँ और उसी स्तर पर सामाजिक विकास निषेध के साथ राज्य के एकाधिकार का दृष्टिकोण ही एकमात्र व्यावहारिक और उचित हो।

विद्वान अधिवक्ता का एक तर्क यह भी था कि जी.औ .एम.एस. नं. 1312 दिनांक 2 दिसम्बर, 1977 में नीति में बड़ा बदलाव निहित था, जो एक विधायी कार्य था औ र अधीनस्थ विधायी निकाय की क्षमता से परे था। हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं। जब भी "निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र" में कोई स्वीच औ वर होता है, यह आवश्यक नहीं है कि नीति में बदलाव के लिए असभवयक्त विधायी मंजूरी शामिल है। यह विषय औ र कानून पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए सभी छोटे खनिजों के खनन पर, इस तरह के प्रतिबंध में प्रमुख नीति का उलटना शामिल हो सकता है औ र इसीलिए इसके लिए विधायी मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन अगर एकल लघु खनिज के एकल निजी खनन पर उसे संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है, तो ऐसा प्रतिबंध, यदि अनुमत है तो कानून द्वारा सरकार को दिए गए अधिकार की सीमा के भीतर है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें नीति का कोई बदलाव शामिल है।

कानून का प्रारूप स्पष्ट है और हम सम्मानपूर्वक इससे सहमत हैं। इस तरह हम इस सुविचारित राय के है कि अध्याय टिप्पणी (2) को

आवश्यक विधायी कार्य के अत्यधिक प्रत्यायोजन के उदाहरण के रूप में दोष नहीं दिया जा सकता है और न ही परियोजना आयात विनियमों को क़ानून के दायरे से परे होने के आधार पर दोष दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त कारणों से, अपील विफल हो जाती हैं और खारिज की जाती हैं। कोई शास्ति नहीं लगायी गयी।

अपील विफल रही।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संगीता शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।